भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1187

जिसका उत्तर 27.07.2023 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण

1187. श्री नाराण भाई काछड़िया:
श्री देवजी पटेल:
श्री दिलीप शइकीया:
श्री सुनील कुमार सिंह:
श्री रणजितसिंह नाईक निंबालकर:
श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) विगत चार वर्षों के दौरान देश में विशेषकर राजस्थान, पूर्वोत्तर के राज्यों, झारखंड और महाराष्ट्र में कितने राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जा रहा है;
(ख) विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए विशेषकर और राजस्थान के जालौर तथा सिरोही जिलों, और महाराष्ट्र के सतारा, सोलापुर, लातूर और नांदेड जिलों, झारखंड और पूर्वोत्तर के राज्यों को आवंटित निधियों का राज्य/जिला और राजमार्ग-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) उक्त कार्य कब से चल रहा है और विशेषकर राजस्थान और महाराष्ट्र के उक्त जिलों में इन कार्यों के कब पूरा हो जाने की संभावना है;
(घ) क्या बनाए जा हरे कई राष्ट्रीय राजमार्गों की गुणवत्ता निम्न कोटि की है;
(ड.) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और
(च) पूर्वोत्तर के राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग के गुणवत्तापूर्ण निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा कौन सी योजना प्रसतावित है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग) 1248 परियोजनाएं हैं जो पिछले चार वित्तीय वर्षों के दौरान शुरू की गई थीं और वर्तमान में राजस्थान, पूर्वोत्तर राज्यों, झारखंड और महाराष्ट्र राज्यों सहित देश भर में निर्माणाधीन हैं।

उपरोक्त परियोजनाओं में से अधिकांश को मार्च 2026 तक चरणबद्ध तरीके से पूरा करने का लक्ष्य है, और केवल कुछ ही परियोजनाओं को मार्च 2026 के बाद पूरा करने की निर्धारित तारीख है। राष्ट्रीय

राजमार्गों के विकास के लिए निधियों का आबंटन राज्य/एजेंसी/योजना-वार किया जाता है न कि परियोजना/राष्ट्रीय राजमार्ग-वार। पिछले चार वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए आबंटित निधियों और किए गए व्यय/जारी की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुबंध-I में दिया गया है। इसके अलावा, पिछले चार में से प्रत्येक के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए अन्य स्कीमों/एजेंसियों के अंतर्गत आबंटित निधियों और किए गए व्यय/जारी की गई निधियों का वर्ष-वार विवरण अनुबंध-2 में दिया गया है।

(घ) से (च) पूर्वोत्तर राज्यों सहित सभी राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय/भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) की विनिर्दिष्टयों में विनिर्दिष्ट गुणवत्ता मानकों के अनुसार किया जाता है। जब तक सड़कों का निर्माण विनिर्दिष्टयों के अनुसार नहीं किया जाता है, तब तक ठेकों को पूर्ण नहीं माना जाता है। निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय और इसकी निष्पादन एजेंसियों द्वारा स्थल पर कार्यों के दिन-प्रतिदिन पर्यवेक्षण के लिए परामर्शदाताओं (प्राधिकरण के इंजीनियर/स्वतंत्र अभियंता), गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं की नियुक्ति की जाती है। ऐसी जांच/पर्यवेक्षण के दौरान पाई गई कमियों, यदि कोई हों, को आवश्यक सुधारात्मक उपाय करने के लिए रियायतग्राहियों/ठेकेदारों के ध्यान में लाया जाता है।

अनुबंध-I

'राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण' के संबंध में श्री नारनभाई कछाड़िया, श्री देवजी एम पटेल, श्री दिलीप सैकिया, श्री सुनील कुमार सिंह, श्री रंजीत सिंह नाइक निंबालकर और श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे द्वारा पूछे गए दिनांक 27.07.2023 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1187 के भाग (क) से (ग) के उत्तर के लिए उल्लिखित अनुबंध।

आवंटित निधियों और व्यय का राज्य-वार विवरण:

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/योजनाएं/एजेंसी**	**2019-20**		**2020-21**		**2021-22**		**2022-23**	
		आबंटन	**व्यय**	**आबंटन**	**व्यय**	**आबंटन**	**व्यय**	**आबंटन**	**व्यय**
1	आंध्र प्रदेश	1,809	2,011	1,846	1,922	2,116	2,101	2,292	2,372
2	अरुणाचल प्रदेश	81	81	142	150	310	380	653	673
3	असम	430	428	420	420	350	357	418	408
4	बिहार	1,899	1,553	2,082	2,170	2,542	2,476	1,705	1,792
5	छत्तीसगढ़	709	697	683	791	648	630	835	852
6	गोवा	1,004	976	1,062	726	643	608	811	661
7	गुजरात	545	719	730	828	800	810	900	696
8	हरियाणा	105	108	160	143	110	96	100	100
9	हिमाचल प्रदेश	160	99	176	182	722	748	883	822
10	झारखंड	163	182	330	301	350	355	370	337
11	कर्नाटक	1,361	1,293	1,210	1,224	1,079	1,085	1,576	1,316

12	केरल	294	327	470	525	331	305	200	189
13	मध्य प्रदेश	2,279	2,535	1,750	1,958	1,306	1,255	752	756
14	महाराष्ट्र	10,341	10,998	9,849	9,226	6,099	6,145	4,525	4,626
15	मणिपुर	397	392	147	145	130	124	105	94
16	मेघालय	35	20	17	19	60	69	65	58
17	मिजोरम	85	85	91	89	125	125	50	49
18	नागालैंड	445	414	355	308	364	346	245	248
19	ओडिशा	451	462	601	676	755	768	998	943
20	पंजाब	883	1,020	820	675	528	501	480	374
21	राजस्थान	1,124	1,062	842	911	836	846	1,456	1,459
22	सिक्किम	0	0	5	4	45	40	100	91
23	तमिलनाडु	530	423	716	618	1,200	1,151	1,180	1,192
24	तेलंगाना	1,515	1,494	1,000	1,015	970	886	1,000	853
25	त्रिपुरा	65	62	105	100	125	129	100	100
26	उत्तर प्रदेश	1,838	1,765	1,715	1,798	1,265	1,329	1,984	2,008
27	उत्तराखंड	964	1,044	960	1,039	665	654	600	585
28	पश्चिम बंगाल	806	792	713	751	593	532	809	917

29	अंडमान और निकोबार	0	0	1	0	1	0	1	0
30	चंडीगढ़	5	0	1	0	1	0	1	0
31	दादर और नगर हवेली	12	0	25	43	32	30	40	26
32	दमन और दीव	8	0						
33	दिल्ली	83	62	92	50	98	58	75	57
34	जम्मू और कश्मीर	50	26	70	52	90	68	390	101
35	केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख	0	0	20	17	11	0	3	0
36	पुद्दुचेरी	2	1	21	19	3	1	50	51
37	रारा (मूल)/पहले आओ पहले पाओ के तहत अन्य परियोजनाएं	1,513	**	-303	**	-206	**	-734	**

आबंटित -आवंटन; व्यय -व्यय

कुछ राज्यों में व्यय उनके आबंटन की तुलना में अधिक है, तथापि देश में कुल व्यय मंत्रालय के समग्र बजटीय आबंटन के भीतर है।

नकारात्मक आबंटन परिलक्षित होता है क्योंकि निधियों को राज्य लोक निर्माण विभाग से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/एनएचआईडीसीएल को पुनर्विनियोजित किया गया था। तथापि, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आबंटन में कमी नहीं की गई थी।

**- राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार व्यय शामिल

पीआर/आईआरक्यूपी का आबंटन उपर्युक्त विवरण में शामिल नहीं है। पीआर/आईआरक्यूपी को 2021-22 से रारा (मूल) से वित्त पोषित किया जाता है।

अनुबंध-II

'राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण' के संबंध में श्री नारनभाई कछाड़िया, श्री देवजी एम पटेल, श्री दिलीप सैकिया, श्री सुनील कुमार सिंह, श्री रंजीत सिंह नाइक निंबालकर और श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे द्वारा पूछे गए दिनांक 27.07.2023 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1187 के भाग (क) से (ग) के उत्तर के लिए उल्लिखित अनुबंध।

योजना-वार/एजेंसी-वार आबंटित निधियां और व्यय निम्नानुसार है

नहीं।	**योजनाएं/एजेंसी**	**2019-20**		**2020-21**		**2021-22**		**2022-23**	
		आबंटन	**व्यय**	**आबंटन**	**व्यय**	**आबंटन**	**व्यय**	**आबंटन**	**व्यय**
1	अन्य मंत्रालय (रेलवे/बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग)							446	446
2	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) - उपकर $	11,091	11,091	23,850	23,850	36,210	36,210	1,10,850	1,10,850
3	एनएचएआई- टोल $	10,600	10,600	11,500	11,500	12,670	12,670	18,006	18,006
4	एनएचएआई- रारा (मूल) $	1,000	1,000	2,833	2,833	16,143	16,143	17,203	17,203
5	एनएचएआई -टीओटी$	10,000	5,000	10,250	7,262	13,000	5,000	10,000	10,000
6	राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) के तहत	2,165	2,165	6,568	6,568	7,079	7,079	11,083	11,083

7	सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) $	356	354	502	500	352	338	595	595
8	अरुणाचल पैकेज सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (एसएआरडीपी-एनई)	3,680	3,592	4,540	4,513	4,825	4,782	4,860	4,609
9	विजयवाड़ा-रांची सड़क के विकास सहित वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र (एलडब्ल्यूई) में सड़कों के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	475	409	425	378	332	329	372	362
10	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं - मुख्यालय, एनएचएआई, एनएचआईडीसीएल $	1,242	1,242	1,905	1,905	3,151	3,151	2,028	2,028
11	भारतमाला - बीआरओ, एनएचआईडीसीएल, एनएचएआई $					923	923	2,585	2,585
12	एनएचएलएमएल (एमएमएलपी और पोर्ट संपर्कता परियोजनाओं के लिए)					100	100	440	440
13	आईईबीआर/एनएचएआई द्वारा उधार	75,000	74,988	65,000	65,036	65,000	65,150	1,000	798

14	परियोजना आधारित वित्तपोषण			9,731	9,731	14,006	14,006	15,000	9,824
15	इनविट					7,350	7,350	10,000	2,850

आवंटन -आवंटन; व्यय -व्यय

$- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आबंटन नहीं किए गए

*****